

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

पत्रांक: ५११/वि०३१०/२२

दिनांक: १५/०९/२०२२

प्राचार्या/प्राचार्य/प्रबन्धक

समस्त महाविद्यालय

सम्बद्ध महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़।


विषय: अनापत्ति/सम्बद्धता शुल्क जमा करने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 646/सत्तर-2-2022-16(11)/2017 टी०सी० दिनांक 14 जुलाई, 2022 के अनुपालन में नवीन विषयों तथा नये महाविद्यालयों की मान्यता के संबन्धित अनापत्ति/सम्बद्धता हेतु निर्धारित दर के अनुसार शुल्क जमा करने के लिए विश्वविद्यालय के निम्नलिखित बैंक खाते के विवरण के अन्तर्गत धनराशि जमा करना सुनिश्चित करें।

बैंक का नाम	खाते का नाम	खाता सं०	आई०एफ०एस०सी०
HDFC BANK Azamgarh.	Affiliation Account Maharaja Suhel Dev State University Azamgarh.	50100519377933	HDFC0007164

भवदीय



(विजय कुमार सिंह)

वित्त अधिकारी
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय
आजमगढ़

प्रेषित प्रतिलिपि -

1. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
3. वेबसाइट प्रभारी को इस आशय से कि इसे वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. कार्यालय प्रति/गार्ड फाईल हेतु।

भवदीय


(विजय कुमार सिंह)

वित्त अधिकारी